

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -110/2023

अनवान : -

1. राकेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलवन्त पुत्र पतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जितेन्द्र पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शर्मिला पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 19/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 45/38 की कुल 3.8199 है0 भूमि व रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 69/56 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7650 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 45/38 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 3.8199 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 69/56 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

28

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 45/38 की कुल 3.8199 है0 भूमि व रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 69/56 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7650 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 45/38 की कुल 3.8199 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 69/56 की कुल 3.7650 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना

पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक...19/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-रामगढ़

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -110/2023

अनवान : -

1. राकेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलवन्त पुत्र पतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जितेन्द्र पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शर्मिला पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 110 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 45/38 की कुल 3.8199 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 69/56 की कुल 3.7650 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...19/5/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-रामगढ़